RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-04
April -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

सार्वजनिक संपत्ति संसाधन के रुप में तालाब; कल, आज और कल (ग्रामीण बिहार का संदर्भ)

आलोक कुमार

शोध छात्र, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान झूंसी,प्रयागराज

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 April 2019

Keywords
तालाब, त्रासदी, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, जन जागरुकता, आजीविका।

ABSTRACT

यह पेपर बिहार के मींव–सुखारीपुर गांव के क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित है। विभिन्न सामाजिक समूहों के साक्षात्कार व सार्वजनिक संपत्ति संसाधन के रुप में तालाब का अध्ययन करने पर यह देखने को मिला कि तालाब का वर्तमान और भविष्य लोगों की जरुरतों पर आधारित है। जिन समुदायों के लिए तालाब आजीविका का साधन है, उनके लिए भविष्य और जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य स्रोतों से कर लेते हैं, उनके लिए तालाब महज जमीन का टुकड़ा!! अतीत और वर्तमान के दुष्चक्र में फंसे तालाब का भविष्य भी संकट में है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब जन जागरुकता के अभाव में विलुप्त होता जा रहा है।

परिचयः

मानव जीवन के सुचारू जीवन यापन के लिए 'अर्थ' अनादिकाल से हीं एक नितांत आवश्यक वस्तु मानी गई है। मनुष्य के 'अर्थ' अर्जन करने, संग्रह करने और इस दम पर भरण–पोषंण करने की जिजीविषा अत्यंत प्राचीन काल से परंपरा का हिस्सा रहा है। हमारे समाज में मानव जीवन के चार महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं–धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष'। अनादिकाल से वर्तमान समय तक इसी परंपरा के तहत पलना–बढ़ना और विकास को सुचारू ढंग से चलाते रहना हमारे समाज का आर्दश स्वरूप माना गया है।

कोई भी व्यक्ति यदि 'अर्थ' स्वतंत्र नहीं है तो उसे किसी भी वस्तु में साम्पतिक अधिकार नहीं होता है। यह अर्थ या संपत्ति ही एक मात्र साधन है, जिसके दम पर मनुष्य अपनी इच्छाओं की न केवल पूर्ति करता है वरन् अपना व समाज का विकास करता है। सपने देखता है और उन सपनों को साकार करने का दंभ रखता है। संपत्ति न केवल मनुष्य के आर्थिक विकास की द्योतक है, बल्कि उसका व्यक्तित्व, समाज, ज्ञान आदि भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। संपति का महत्व व्यक्ति के आंतरिक जीवन से लेकर बाह्य समाज, संस्कृति, सभ्यता, प्रेम, दया सहानुभूति आदि पर भी प्रभाव डालता है और उसके विकास को सुनिश्चित करता है। ये और बात है की जिन लोगों के पास अधिक संपत्ति हो जाता है, वे इसे विलासिता पूर्ण और आडंबर युक्त जीवन जीने में हीं सुख पाते हैं। पर वास्तविकता तो यहीं है कि संपत्ति की जरूरत इच्छाओं की पूर्ति, ज्ञान की वृद्धि एवं जरूरत मंदों के कल्याण हेतु ही होना चाहिए। महात्मा गाँधी ने संपत्ति को आदर्श समाज के लिए 'अस्तेय' और अपरिग्रह के नैतिक सिद्धांत की कसौटियों को ही उचित समझा।[1]

सम्पत्ति की अवधारणा

अंग्रेजी में सम्पत्ति शब्द का पर्यायवाची 'प्रोपर्टी' है।[2] जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द से है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'अपना', प्रोपियल शब्द भी प्रोपी से बना है जिसका अर्थ है 'सामीप्या। यानी जो व्यक्ति के समीप हो या उसका अपना हो वही उसकी संपत्ति हुई।[3] इस प्रकार हम कह सकते हैं की संपत्ति से आशय स्वामित्व पूर्ण अधिकार उपभोग की स्वतंत्रता एकांतिक अधिकार है। एक यह भी तथ्य है कि यह केवल व्यतिगत अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार भी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 300(क) में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।[4]

इस प्रकार संपत्तियों में वे वस्तुएं सेवाएँ शामिल होती हैं जिन पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। उसे समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि प्रश्न निजी संपत्ति का न होकर सार्वजनिक संपत्ति का हो तो उपर्युक्त अवधारणाओं में एक जरूर ही बदल जाता है जो निजी और सार्वजनिक संपत्ति में भेद करता है। सार्वजनिक संपत्ति का सीधा मतलब है कि उस पर किसी एक का 'हक' नहीं होता। सार्वजनिक संपत्ति और निजी सम्पत्ति का यह बड़ा फर्क है कि सार्वजनिक संपत्ति किसी एक का न होकर सभी का होता है। यह राज्य का हो सकता है, देश का हो सकता है। पर किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता।

सार्वजनिक सम्पत्ति

सार्वजनिक सम्पत्ति से आशय वैसें संपत्ति से है जिसकी पहुंच सभी तक हो। वह अनिवार्य रुप से किसी एक का न हो। सार्वजनिक संपत्ति मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं,[5] –प्रथम – अनावृत पहुँच (OpenA ccess) यह सार्वजनिक संपत्ति का वह रूप है जिस तक सभी की पहुँच होती है। यह संपत्ति रूपांतरित अवस्था में नहीं होता। जैसा की विदित है कि यह किसी एक का नहीं होता। इसके अन्तर्गत सामान्य तौर से नदी, झील, तालाब, चारागाह आदि को सम्मिलित किया जाता है।

द्वितीय सार्वजनिक संपत्ति के रूप में राज्य संपत्ति (State property) को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के संपति का मालिकाना हक राज्य अथवा केन्द्र सरकार के

[1] हिन्द स्वराज : महात्मा गाँधी, पेज 18

[2] ऑक्सफ़र्ड हिंदी-इग्लिश शब्द-कोष

[3] केस ऑफ कंजर्वेटीस्म, पृष्ठ 13

[4] बियरे एक्ट 2009

[5] कॉमनप्रॉपर्टी इकोनॉमिक्स, गलेंग स्टीवेंसन, पृष्ठ 31

RRIJM 2015, All Rights Reserved

पास होती है। इसका रख–रखाव व नियंत्रण दोनों ही सरकारों के अधीन होती है। इस संपति तक पहुँच आम लोगों की नहीं होती। इसके अन्तर्गत आरक्षित वन, सरकारी कंपनियों और सरकारी काम के लिए अधिकृति विभिन्न प्रकार की संपत्ति राज्य संपत्ति के रूप में चिन्हित किया जाता है।

तृतीय सार्वजनिक संपति के रूप में सामुदायिक संपति (Community property) को चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार के संपत्ति से आशय यह है कि इस पर एक समुदाय विशेष का मालिकाना हक होता है। इसका देख–रेख व नियंत्रण भी उसी समुदाय के अधीन होता है। यह सरकार अथवा किसी निजी संपत्ति का हिस्सा नहीं होता है। सामुदायिक संपत्ति के अपने नियम कानून और संरक्षण के मानक होते हैं, जो उसी समुदाय विशेष द्वारा ही बनाए जाते हैं। इस संपत्ति के अन्तर्गत कब्रगाह, सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद आदि सम्मिलित किए जाते हैं।

सार्वजनिक संपत्ति संसाधन का इतिहास

सार्वजनिक संपत्ति संसाधन का इतिहास काफी प्राचीन है और यह जनजातीय आजीविका से जुड़े होने के साथ–साथ आम जन के भी सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक सम्बंधों से जुड़ी है। सार्वजनिक संपत्ति संसाधन को सामान्य संसाधन के नाम से जाना जाता है। सामान्य का अर्थ निजी होना नहीं है और न हीं व्यवसायिक या राष्ट्रीय है बल्कि इसके निहितार्थ में सार्वजनिक संपत्ति होना है। जहाँ समुदाय का, गाँव का, और आम जन मानस का अधिकार सुनिश्चित होता है।[6] सार्वजनिक संपत्ति संसाधन को कैसे प्रयोग करना है? कितनी मात्रा में करना है? और कैसे संरक्षण करना है? इसका पूरा हक स्थानीय समुदाय व वहाँ के निवासियों का होता है।

सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति संसाधन का इतिहास रोम के समाज में देखने को मिलता है। वहाँ मूलतः संपत्ति को रखने के तीन तरीके प्रचलित थे।[7] पहला जो किसी के व्यक्तिगत अधिकार में था, दूसरा राज्य जो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाता और अलग रखता था, तथा तीसरा प्राकृतिक संसाधन तथा सार्वजनिक संड़के और इमारतें जो सभी के प्रयोग के लिए थी, इसे हीं सार्वजनिक संपति संसाधन के नाम से जाना गया। रोमन कानून के हिसाब से हवा, बहता पानी, समुद्र, नदी, चारागाह आदि सामान्य मानव जाति के प्रयोग के लिए थी, जिसे सामान्य अथवा सार्वजनिक संसाधन की श्रेणी में रखा गया।

इंग्लैण्ड में मध्यकाल के दौरान गाँव के लोगों द्वारा बाँटी गई भूमि का प्रावधान था, जिसका उपयोग चारे की खोज, शिकार, फसल उगाने, लकड़ी काटने के लिए किया जाता था जो सार्वजनिक संपति संसाधन का हिस्सा था। 1215 में मैग्नाकार्टा ने वनों और मछली पालन क्षेत्रों को सभी के लिए उपलब्ध संसाधनों में रख दिया, साथ ही साथ अनेक राज्यों ने अपने संविधान में यह घोषणा कर दी की प्राकृतिक संसाधन लोगों के लिए है।[8] इसी प्रकार भारत में भी जंगलों पर आदिवासियों का हक, गाँव के परती पड़ी जमीनों, तालाबों, चारागाहों आदि पर स्थानीय समुदाय का हक सुनिश्चित था। उसे ये स्थानीय निवासी भले ही सार्वजनिक संपति संसाधन के रूप में न जानते हों और देखते हों, पर अपनी जरूरतें, आर्थिक क्रियाकलाप, रहन–सहन, संस्कृति आदि इन्ही के इर्द–गिर्द संपन्न करते थे।[9]

18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति होने के साथ ही निजी संपति का दौर चल पड़ा। इस क्रांति का परिणाम यह हुआ की श्रम एक वस्तु बन गया तथा भूमि के आस–पास बाड़ा लगा कर सामान्यों को अलग कर दिया गया, तो सार्वजनिक संपत्ति संसाधन की अवधारणा बदल गयी। यह निजीकरण का आरंभिक रूप था। पहले भूमि मालिकों द्वारा और धीरे–धीरे औद्योगिक नियमों द्वारा तथा बाद में दोनों को मिलाकर इस समीकरण से खुले प्रतिस्पर्धी बाजार के माध्यम से विकास को बढ़ावा मिला।

साठ के दशक में जब अत्यधिक संसाधनों के शोषण से प्राकृतिक संसाधन उद्योग में गिरावट आने लगी, तब सरकार ने नीति बदली और संसाधन संरक्षण के उपाय जैसे–वन्य जीवन उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, तथा जैव क्षेत्र साधन के बाड़े बनाए जाने लगे। परन्तु इसका भी उद्देश्य यह नहीं था की संसाधन संरक्षण हो बल्कि यह था कि तत्कालीन रूप से औद्योगिक उत्पादन में हो रहे गिरावट को रोका जाए। अब सरकार ने एक नए तरीके का इजाद किया और प्राकृतिक संसाधन के अब खनीजों के दोहन की इजाजत दे दी गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान वहाँ रह रहे स्थानीय समुदाय पर पड़ा। वे बेघर हो गए। उन्हें पर्याप्त मुआवजा न मिलने के कारण, जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। कई समुदायों पर पहचान, संस्कृति, आजीविका आदि का संकट खड़ा हो गया क्योंकि उनके संसाधन आधार से वे विमुख हो गए थे।[10]

मशहूर अर्थशास्त्री और पर्यावरण विद एन0एस0 जोधा कहते हैं कि ''सार्वजनिक संपति संसाधनों को अवमूल्यित कर दिया गया और उनकी उत्पादकता भी पहले से बहुत कम कर दी गई।''[11] इसका परिणाम यह हुआ की गांव के जो लोग धनाढ्य नहीं थे, उनके जीवन पर संकट आ गया वे जो छोटे किसान, मजदूर या भूमिहीन थे। जिनके पास सीमित विकल्प था वे ग्रामीण गरीब, ईंधन, चारा और भोजन तथा आवास जैसी बुनियादी जरूरतों से भी वंचित हो गए। मधु सरीन कहते हैं कि वन निर्भर ग्रामीणों की गरीबी और पृथ्क्करण के कारण अत्यधिक वन नाश हुआ है। सरकारी वन विभाग का सदैव वन समुदायों के साथ संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। भारत की कुल भूमि क्षेत्र में से 23 प्रतिशत वन सरकार के अधिकार क्षेत्र में है जो सार्वजनिक संपति संसाधन का प्रतिनिधित्व करते हैं।[12]

संयुक्त वन प्रबंधन देश के 540 लाख जनजाति के लोगों और अन्य पिछड़े वन समुदायों विशेषकर महिलाओं, मजदूरों, किसानों और भूमिहीनों के लिए उपयोगी है क्योंकि वे वर्तमान समय में भी आजीविका के लिए रार्वजनिक संपति संसाधन पर निर्भर है। सार्वजनिक संपति संसाधन के घटती उपलब्धता को पहली बार ग्रेट हार्डिन द्वारा 1968 ई0 में

---

[6] कॉमनप्रॉपर्टी इकोनॉमिक्स, गलेंग स्टीवेंसन, पृष्ठ 39

[7] माधव गाडगिल, रामचंद्र गुहा 'यह दरकती जमीन' भारत का पारिस्थितिकीय इतिहास, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2018, अनुवादक, कमल नयन चौबे, पृष्ठ 49

[8] रामचंद्र गुहा, 'उपभोग की लक्ष्मण रेखा' अनुवाद, रुबीना सैफी पृष्ठ 62

[9] जंगल की हकदारी, कमल नयन चौबे पृष्ठ 12

[10] रामचंद्र गुहा, 'पर्यावरण पर एक प्रारम्भिक बहस' पहाड़, पृष्ठ 155

[11] उपभोग की लक्ष्मण रेखा,राम चन्द्र गुहा, अनुवादक-रुबीना सैफी, पृष्ठ 240

[12] वन रिपोर्ट भारत सरकार 2012

संसाधन के त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संपति संसाधन का स्वरूप बढ़ती जनसंख्या के कारण निरंतर कम होता जा रहा है जिसके फलस्वरूप इस पर निर्भर रहने वाले स्थानीय समुदाय के लिए यह ट्रेजड़ी जैसा है।[13]

उन्होंने चारागाह का उदाहरण देकर बताया की यदि सीमित क्षेत्रफल में चारागाह हो और उसपर निर्भर रहने वाले पशुओं की संख्या बढ़ती जाए तो यह अन्य पशुओं के लिए अवसर कम होने जैसा है इसी प्रकार यह मानव जीवन पर भी लागू होता है कि बढ़ती जनसंख्या और अकुशल प्रबंधन के कारण सार्वजनिक संपति संसाधन दुःखद परिणामों की ओर अग्रसर होता जा रहा है। ग्रेट हार्डिन के प्रयासों के फलस्वरूप हीं सार्वजनिक संपति संसाधन पहली बार व्यवस्थित रूप में विश्व समुदाय के सम्मुख परिचित हुआ। इसके आयाम, इसका महत्व और इसके प्रबंधन की बात होने लगी।

तालाबों का अतीत

सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों में तालाब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तालाब न केवल मानव के लिए वरन् सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी है। तालाब सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर सभी लोगों की जरूरतें खान–पान, रहन–सहन आदि के लिए महत्वपूर्ण है।

तालाब के साथ इसके नामकरण का इतिहास शुरू होता है। बुढ़ागर में बूढ़ासागर, मझगवों में सरमन सागर, कुआग्राम में की राई सागर तथा कुंडम गांव में कुंडम सागर बनवाया गया।[14]

सन् 1907 में अंग्रेजों को गेजेटियर में लिखा मिला कि जब वे तालाबों के इतिहास की व्यवस्थित व्याख्या के तलाश में वे देश के हर–भाग में किसी न किसी किस्सा के रूप में तालाब का नाम, इतिहास, संस्कृति धर्म आदि का तत्व जुड़ा पाया। तो फिर यह क्यों न कहा जाय की तालाब का इतिहास काफी समृद्ध है। किसी तालाब को राजा ने किसी को रानी ने किसी को धार्मिक संस्था ने तो किसी तालाब को गृहस्थ ने ही बनवाया है। समाज में चाहे कितने ही उथल–पुथल रहा हो, कोई भी विकास का पैमाना रहा हो, कोई भी राजा रहा हो, तालाब बनवाने का क्रम जारी रहा और इसका मुख्य कारण था इसकी जरूरत और इसकी महत्ता। यहां तक की जब भारत में अंग्रेज पूरी तरह से का शासन हो गया तब तक तालाब बनाने की प्रक्रिया चलती रही।

कुछ आँकड़ों पर गौर करें तो तालाब दक्षिण के राज्यों में ज्यादा ही प्रचलित था। एक आँकडा के अनुसार मद्रास प्रेसिडेंसी में 53000 तालाब गिने गए थे।[15] वहां पर सन् 1985 में केवल 14 जिलों में ही 43000 तालाब थे। इसी प्रकार तत्कालीन मैसूर में 1980 तक 39000 तालाब मौजूद थे।[16] मध्य प्रदेश के रीवा में जोडौटी गांव के 2500 की आबादी पर 12 तालाब थे। इसी के आस पास के गांवों में 1500 की जनसंख्या पर 10 तालाब थे।[17]

अध्ययन क्षेत्र में तालाब

अध्ययन क्षेत्र भभुआ ब्लाक के मींव सुखारीपुर गांव में कुल नौ तालाब मौजूद हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 20 एकड़ में फैले हैं।[18] यहाँ तालाबों को स्थानीय भाषा में कई नामों से सम्बोधित किया जाता है। जो तालाब बड़े है और सरकारी जमीन पर है तथा जिस तालाब पर किसी एक का मालिकाना हक नहीं होता अर्थात वह सार्वजनिक संपति संसाधन का हिस्सा है से 'गैर मजरूआ सर्व साधारण' कहा जाता है।[19] सरकारी भाषा में जो तालाब किसी समुदाय विशेष का हो परन्तु सरकारी हो उसे 'गैर मजरूआ आम' कहा जाता है।[20]

आम बोल चाल की भाषा में बिहार के तालाबों को 'ताल' कहा जाता है।[21] कुछ जगहों पर जहाँ वर्षात का पानी ज्यादा हो जाने से एक अलग तरीके से पानी अपेक्षाकृत ऊँचे इलाके तक पहुँच जाता है, और वहां पानी लम्बे समय तक बना रहता है। यहाँ तक की गर्मी तक। तब ऐसे जगहों को गवही कहा जाता है। यह भी तालाब का वह हिस्सा होता है जिस पर सभी का हक होता है।[22] शोध क्षेत्र में लगभग 3000 की जनसंख्या पर कुल 20 एकड़ क्षेत्रफल में फैला ताल, पोखर गबही आदि के रूप में तालाब फैला है जो इस गांव के समृद्धि विकास एवं सतत् विकास के लिए पर्याप्त है।

मींव–सुखारीपुरः तालाबों का विवरण

क्र0 सं0	थाना नं0 752	खाता संख्या 248/247	नाम	तालाब का प्रकार	क्षेत्रफल
1	तदैव	248	चक	गैर मजरूआ सर्व साधारण आम	1 एकड़ 94 डिसमिल
2	तदैव	692/719	ताल	तदैव	एक एकड़ 95 डिसमिल
3	तदैव	737/818	ताल	तदैव	2 एकड़ 95 डिसमिल
4	तदैव	920/2038	ताल	तदैव	2 एकड़ 27 डिसमिल
5	तदैव	922/971	पोखर	तदैव	7 एकड़ 23 डिसमिल
6	तदैव	948/1088	ताल	गैर मजरूआ अनावाद सर्वसाधारण	1 एकड़ 20 डिसमिल
7	तदैव	1116/1942	ताल	गैर मजरूआ अनावाद सर्वसाधारण	3 एकड़ 87 डिसमिल
8	तदैव	1312/1573	पोखर	गैर मजरूआ अनावाद	3 एकड़ 87 डिसमिल

[13] ग्रेट हार्डिन, द ट्रेजडी ऑफ़ द कॉमन 1968
[14] वहीं
[15] अनुपम मिश्र , 'आज भी खरे हैं तालाब' पृष्ठ 9
[16] वहीं
[17] वहीं
[18] चकबंदी विभाग, बिहार सरकार, भभुआ कैमूर .
[19] चकबंदी विभाग, बिहार सरकार, भभुआ कैमूर
[20] वहीं
[21] साक्षात्कार के आधार पर
[22] साक्षात्कार के आधार पर

				सर्वसाधारण	
9	तदैव	806 / 852	गवही	सर्वसाधारण खाश	89 डिसमिल

स्त्रोतः बिहार सरकार चकबन्दी विभाग

वर्तमान स्थिति

मींव सुखारीपुर गांव के वे सारे तालाब जो सरकारी कागजों में अस्तित्व में हैं उनमें से एक तालाब को छोड़कर सभी तालाब मृतप्राय हो चुके हैं।[23] तालाबों की दशा इतनी दैयनीय है कि या तो उसका अस्तित्व ही नहीं है या है भी तो वह नाला और बिहार के आम भाषा में कहें तो वह गड़ही का रूप ले चुका है।[24] तालाब की दैनिय स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो तालाब समृद्धि के, संस्कृति के प्रतीक के रूप में होता है वहाँ खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है। तालाब के जगह पर कूड़े का ढेर, सब्जी की खेती, मंदिर निर्माण से कब्जा और तो और सरकार खुद ही इसका अतिक्रमण कर वहां पर पम्पसेट लगवाने के लिए गृह निर्माण भी करा चुकी है।[25] आम जनों की कौन सुने सरकार स्वयं अतिक्रमण के खेल में हिस्सेदार है।

आज मींव–सुखारीपुर गांव के अधिकांश तालाब अतिक्रमण की चपेट में आकर अस्तित्व विहिन हो चुके हैं। तालाब के नाम पर कुछ बचा है तो छोटे–छोटे गढे, बद्बुदार पानी, लोगों के घरों के गंदे पानी के निकासी का साधन, बीमारियों का पिटारा और सतत विकास का कब्रगाह। तालाब अपनी दुर्दशा के ऑसू रो रहा है। और दुखद बात यह है कि उस तरफ न तो आमजनों का, न प्रशासन का,और न पर्यावरण प्रेमियों का ध्यान है ताकि उसका उद्धार हो सके।[26]

जन जागरूकता

अध्ययन क्षेत्र में जागरूकता का आभाव दिखा। वहां के स्थनियम निवासियों से सतत् विकास सार्वजनिक संसाधन या तालाब के होने न होने से लाभ–हानि आदि प्रश्न पूछने पर न के बराबर लोगों ने कुछ कहा।[27] पर्यावरणीय और सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता तो बाद की बात है पहले तो लोग यह भी नहीं जानते कि पर्यावरण क्या है? सतत विकास क्या है? तालाब किस–किस स्तर से लोगों को लाभ पहुंचा सकता है? इस आधार पर इतना कहना मुनासिंब होगा की सबसे पहले तो लोगों को पर्यावरण और सतत विकास के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए वे जब तक इस अवधारणा से परिचित ही नहीं रहेगे तब तक इसके संरक्षण विकास और उपयोग की बात करना बेमानी है। अतः यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्हें पर्यावरणीय शिक्षा पर कम से कम प्रारंभिक जानकारी हो तभी उन्हें पर्यावरणीय जरूरतों के हिसाब से संवेदनशील बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

अध्ययन क्षेत्र में अवलोकन के पश्चात और समस्याएं जानने के उपरांत तथा ग्रामीण जरूरतों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में जागरूकता की कमी और शैक्षिक स्थिति को देखते हुए सबसे पहले तो उन्हें तालाब के महत्व को बताया जाना उचित है। उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए की धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं के नुकसान की वजह तालाब है। इसके अलावे स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों में तालाब के प्रति संवेदनशीलता लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तालाब से पर्यावरण और सहजीवन के संबम्बंधो को भारी नुकसान हो रहा है। पर्यावरण आधारित नैतिकता को बढ़ावा देना, जल के नुकसान से होने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होने वाले हानि को रोकने के गभीर प्रयास की आवश्यकता है। लोगों को इस बात के लिए तैयार करना जरूरी है कि वे जरूरत से ज्यादा सार्वजनिक संसाधनों का दोहन न करें। गांव के लोगों में सहकारिता की भावना का विकास करना चाहिए। तालाब के न होने से गांव पर किस प्रकार का संकट आ सकता है, इसके बारे में जागरू करना अति आवश्यक है। गांव की मूल ताकत उनके परम्परा के होने में है, यदि यह समझाया जाय तो शहरों के अंधाधुंध नकल से ग्रामवासी बच सकेंगे, जिससे तालाब संरक्षण में मदद मिलेगी। अन्त में यह कहा जा सकता है कि किसी भी हालत में सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए, ताकि तालाब के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ सतत विकास, पर्यावरण, आजीविका, धर्म–संस्कृति आदि सब कुछ बचाया जा सके।

[23] क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर
[24] वहीं
[25] वहीं
[26] वहीं
[27] फिल्ड सर्वे, मींव-सुखारीपुर

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हार्डिन, गैरेट (1968).'द ट्रेजरी ऑफ द कॉमन्स' वौल्यूम 162 3859, पेज 43–48.
2. गुहा, रामचन्द्र (2006).'उपयोग की लक्ष्मण रेखा' आक्सफोर्ड प्रेस, नयी दिल्ली.
3. मिश्र, अनुपम (1993).'आज भी खरे हैं तालाब' कल्याणी शिक्षा परिषद, नयी दिल्ली.
4. ऑस्ट्राम, एलिनॉर, (1986).'इस्यू ऑफ डिफिनिशन एण्ड थियरिज' नेशनल एकेडमिक प्रेस वासिंगटन डिसी, पेज 597–615
5. शिवा, वन्दना (1986). 'कमिंग ट्रेजरी ऑफ द कॉमन्स' इपिडब्लू.
6. पाण्डेय,जगदीश चंद्र(1986). 'समाज और पर्यावरण' प्रगति प्रकाशन, दिल्ली.
7. कुरियन, पॉल(1988). 'कॉमर्सियलाइजेशन ऑफ कामॅन प्रापर्टी' इपिडब्लू।
8. सिन्हा, सुबिर(1990). 'कॉमन प्रोपर्टी कलोक्टिव ऐक्शन एण्ड इकोलॉजी' इ0पी0डब्लू.
9. ऑस्ट्रम, एलिनॉर(1990).'गवर्निंग द कॉमन' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.
10. कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्स' सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
11. प्रोपर्टी रिजिम्स' इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रिब्यूसन देहरादून, पेज–22–32.
12. क्षेत्र सर्वेक्षण; मींव सुखारीपुर
13. पाशा, अजमल सइद (1991). 'सस्टनेबलिटि ऐण्ड वैविलिटी ऑफ स्माल ऐण्ड मार्जिनल फार्मर्स'इ0पी0 डब्लू.
14. हरिमोहन, (1996). 'संस्कृति, पर्यावरण और पर्यटन' तक्षशिला पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
15. राजू, वी0के0 (2004). 'ऑफ कॉमन रिसोर्स' इ0पी0 डब्ल्यू.

16. गोडवा, एन0 मनोहरा(2004).'कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्स एण्ड रूरल पूअर' इ0पी0 डब्ल्यू.
17. स्टीवेन्सन, ग्लेंग (2005). 'कॉमन प्रोपर्टी इकोनामिक्स' कैम्बरीज यूनीवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.
18. फलेह, अली लाईक(2006). 'हमारा पर्यावरण' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत.
19. भल्ला, जी0एस0(2007). 'भारतीय खेतिहरों की स्थिति' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत.
20. सिंह, कटार(2011). 'ग्रामीण विकास सिद्धांत नीतियॉ एवं प्रबन्ध' सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
21. मिश्रा, हरिकेश एन (2014). 'मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स' पी0एच0आई0 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नईदिल्ली.
22. सरकार, बिहार (2014).'कैमूर भू–जल रिपोर्ट' सिंचाई विभाग, बिहार पटना.

RRIJM 2015, All Rights Reserved